

भाग - IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें । (राय देते समय सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	क. प्रभाग राज की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है ।
----	---	---

दिनांक :--- 5/1/23

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

Anupam Gupta

Chief Conservator of Forests/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow